न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.

मिसल नं. ::: 137 / 2017

सरकार बनाम नाथाराम पुत्र बीरबलराम, जाति–जाट, निवासी– किढ़वाना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 25.01.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल नाथाराम पुत्र बीरबलराम, जाति–जाट, निवासी– किढ़वाना द्वारा रोही मौजा किढ़वाना की राजकीय भूमि ख.नं. 73 कुल रकबा 18.79 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.10 है0 भूमि पर मकान कच्चे पक्के, चार दीवारी, छड़ी लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर होकर एडवोकेट विकास कुमार का अभिभाषक पत्र पेश किया। इसके बाद अवसर देने उपरान्त भी गैर सायल एवं उसके अभिभाषक ने कोई जवाब पेश नही किया गया। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 38 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 11 पर वर्ष 2017-18 में रुपये 38/- कायम कि०

राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़